

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16012021-224485
SG-DL-E-16012021-224485

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 274
No. 15]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942	[N. C. T. D. No. 274

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जनवरी, 2021

सं० फा० (40)(4)वित्त/ए/सीएस/डीएफसी/2005-06/डीएस-IV/34.—राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का सं० 63) की धारा 28 की उप धारा(1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की संस्तुति पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा औद्योगिक इकाइयों के संबंध में प्रदत्त शेयर पूंजी में दस करोड़ रुपये (रु० 10,00,00,000/-) से तीस करोड़ रुपये (रु० 30,00,00,000/-) की वृद्धि करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप-सचिव (IV)

FINANCE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 15th January, 2021

No.F.(40)(4)Fin/A/cs/DFC/2005-06/DSV/34— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 28 of the State Financial Corporations Act 1951 (No. 63 of 1951), and on the recommendation of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby enhance the paid-up Share Capital from Rupee Ten crores (₹ 10,00,00,000) to Rupee Thirty crores (₹ 30,00,00,000) in respect of the Industrial concerns.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Sec. (IV)